डूब प्रभावितों के लिए 202 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत

केन-बेतवा, रूंज और मझगांव परियोजना के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई । मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के 08 ग्रामों में विशेष विस्थापन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के संबंध में कटऑफ दिनांक की वृद्धि को स्वीकृति देते हुए नवीन संभावित 313 परिवारों को विशेष पैकेज की कुल अनुदान राशि रू. 39.125 करोड़ को सम्मिलित करते हुये परियोजना के लिए कुल व्यय 439 करोड़ 325 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्व में डूब प्रभावित ग्रामों के कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की प्रकाशन तिथि 21 जनवरी 2022 को कट-ऑफ मानते हुए कुल 1890 परिवारों की गणना की गई थी। इन्हीं ग्रामों के आबादी भूमि/निजी भूमि पर स्थित मकानों के मुआवजा निर्धारण हेतु धारा-11 अंतर्गत म.प्र. के राजपत्र में प्रकाशन 15 मार्च 2024 को हुआ।

प्रभावित परिवारों/जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मांग तथा परियोजना का निर्माण कार्य सुचारू एवं त्वरित गति से क्रियान्वयन के दृष्टिगत आबादी भूमि एवं मकान के लिए धारा-11 के प्रकाशन 15 मार्च 2024 को आधार मानकर कट-ऑफदिनांक में वृद्धि की स्वीकृति देते हुए 313 परिवारों को विशेष पुनर्वास पैकेज दिया जाना निर्णीत हुआ।

मंत्रि-परिषद द्वारा रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना से 730 डूब प्रभावितों को पूर्व में एकमुश्त पुनर्वास अनुदान राशि 5 लाख रूपये प्रति परिवार के मान से स्वीकृत की गई राशि के स्थान पर, डूब प्रभावित परिवारों द्वारा पन्ना जिले की ही केन-बेतवा लिंक परियोजना से डूब प्रभावितों को विस्थापन हेतु स्वीकृत राशि रु.12.50 लाख प्रति परिवार के समान की जा रही मांग एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी केन-बेतवा लिंक परियोजना से डूब प्रभावितों को विस्थापन के लिए स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के समान राशि दिए जाने की मांग की जाती रही है। डूब प्रभावितों के हित एवं परियोजना के क्रियान्वयन के दृष्टिगत रखते हुए, केन-बेतवा लिंक परियोजना के समान, रूंज मध्यम परियोजना से प्रभावित 730 विस्थापित परिवार के लिए प्रति परिवार अतिरिक्त रू. 7.5 लाख (साढ़े सात लाख) की राशि का विशेष पुनर्वास पैकेज कुल रू. 54 करोड़ 75 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। यह राशि रूज मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति राशि 269 करोड़ 79 लाख रुपये के अतिरिक्त होगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना से 1450 डूब प्रभावितों को पूर्व में एक मुश्त पुनर्वास अनुदान राशि 5 लाख रुपये प्रति परिवार के स्थान पर, (पन्ना जिले की ही केन-बेतवा लिंक परियोजना से डूब प्रभावितों को विस्थापन के लिए स्वीकृत राशि 12.50 लाख रुपये प्रति परिवार के मान से) डूब प्रभावितों के हित एवं परियोजना के क्रियान्वयन के दृष्टिगत प्रति परिवार अतिरिक्त रू. 7.5 लाख (साढ़े सात लाख) रुपये की राशि का विशेष पुनर्वास पैकेज कुल 108 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह राशि मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भूमि एवं परिसंपत्ति अधिग्रहण के लिए कुल स्वीकृत राशि 364 करोड़ 56 लाख रुपये के अतिरिक्त होगी।

बृहस्पति कुंड में डूबे युवक का 24 घंटे बाद भी पता नहीं

पन्ना, 9 जुलाई। पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में डूबे बीएससी नर्सिंग के छात्र कुणाल कुमार का बुधवार शाम तक भी कोई सुराग नहीं लग सका। हादसे के 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन लगातार बारिश, तेज जलप्रवाह और कुंड की अधिक गहराई के कारण रेस्क्यू अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी 25 वर्षीय कुणाल कुमार सतना के विन्ध्य नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का छात्र था। दोस्तों के साथ कुंड में नहाने के दौरान वह डूब गया था। बुधवार को दिनभर की खोज के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है। अब गुरुवार को भी सर्चिंग होगी।

शीतल मुक्तिधाम अभियान का मोहंद्रा रेंज में विस्तार

मुक्तिधामों में हुआ पौधारोपण

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई । वन महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा संचालित शीतल मुक्तिधाम अभियानष् के तहत मोहंद्रा वन परिक्षेत्र के विभिन्न मुक्तिधामों में व्यापक स्तर पर छायादार एवं दीर्घायु वृक्षों का पौधारोपण किया गया।

अभियान के अंतर्गत रमपुरा, मोहंद्रा एवं बम्होरी मुक्तिधामों में पीपल, आम, जामुन, कदंब, इमली, बीजा, करंज, शीशम सहित विभिन्न स्थानीय एवं छायादार प्रजातियों के पौधे रोपे गए तथा उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी स्थापित किए गए। ग्राम बम्होरी के मुक्तिधाम में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच राजरानी आदिवासी, ग्राम वन समिति अध्यक्ष चंदू आदिवासी, उपाध्यक्ष रघुवंश राजा, समिति सचिव, बीट गार्ड गौरव दीक्षित, समिति सदस्यों एवं सुरक्षा श्रमिकों ने सहभागिता की। वहीं रमपुरा मुक्तिधाम में ग्राम सरपंच, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, पंचों तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर वनरक्षक जयप्रकाश नारायण दुबे, जगदीश प्रसाद अहिरवार, संगीता अहिरवार, सुरक्षा श्रमिक एवं अन्य वनकर्मी भी उपस्थित रहे।

इसी क्रम में 9 जुलाई 2026 को मोहंद्रा मुक्तिधाम में भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम सरपंच, ग्राम वन समिति के पदाधिकारियों, आईटीआई मोहंद्रा के विद्यार्थियों एवं स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में परिक्षेत्र सहायक देवी सिंह यादव, वनरक्षक जयप्रकाश नारायण दुबे, रामदयाल सूत्रकार, जगदीश प्रसाद अहिरवार, सुरक्षा श्रमिक एवं अन्य वन कर्मचारियों ने सहभागिता की। पौधारोपण के उपरांत सभी पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड लगाए गए तथा उनके नियमित संरक्षण एवं देखभाल का संकल्प लिया गया। दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा प्रारंभ किए गए शीतल मुक्तिधाम अभियान का उद्देश्य ऐसे मुक्तिधामों एवं शांति धामों को हरित एवं छायादार बनाना है, ग्राम वन समितियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्राप्त जनसमर्थन एवं अनुभव के आधार पर आगामी समय में इस अभियान का विस्तार दक्षिण पन्ना वनमंडल के सभी उपयुक्त मुक्तिधामों एवं शांति धामों तक किया जाएगा।

एक डॉक्टर-एक पहचान का दौर शुरू

एचपीआर के बगैर स्वास्थ्य संस्थानों की प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई। अब एक डॉक्टर-एक पहचान का दौर शुरू हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एचपीआर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य संस्थानों की प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। आयुष्मान पोर्टल पर अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन समेत कई सरकारी कामों में अब एचपीआर नंबर अनिवार्य रहेगा।

इनका असर सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी पड़ेगा। सीएमएचओ ने बताया कि सभी एलोपैथिक डॉक्टरों को एचपीआर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्वास्थ्य संस्थानों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे फर्जीवाड़े, डुप्लीकेट डॉक्टरों और एक रजिस्ट्रेशन नंबर से कई जगह प्रैक्टिस जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। फर्जी डॉक्टरों, किराए पर डिग्री चलाने और बिना अनुमति जांच केंद्र संचालित होने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कई झोलाछाप डॉक्टर वर्षों से सक्रिय हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एचपीआर व्यवस्था को डिजिटल संजीवनी मान रहा है। हालांकि निजी क्षेत्र के कुछ डॉक्टरों का कहना है कि सिस्टम लागू करने से पहले तकनीकी ढांचा मजबूत करना जरूरी होगा।

एक क्लिक से पता चलेगा कि डॉक्टर का पंजीयन वैध है या नहीं - अब तक कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे अस्पताल या क्लिनिक में इस्तेमाल होता मिला। कई जगह डॉक्टर नाम के लिए दर्ज थे, लेकिन वास्तव में वहां मौजूद ही नहीं रहते थे। जांच के दौरान पता चलता था कि डॉक्टर का नाम भोपाल में भी चल रहा है और वही रजिस्ट्रेशन नंबर इंदौर या ग्वालियर में भी उपयोग हो रहा है। नई व्यवस्था में ऐसा करना आसान नहीं होगा। जैसे ही किसी डॉक्टर का एचपीआर नंबर दूसरी जगह लिंक होगा, सिस्टम में तुरंत पॉपअप अलर्ट दिखाई देगा। इससे विभाग को रियल टाइम में पता चल जाएगा कि कहीं एक ही डॉक्टर का डेटा दो जगह तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम डॉक्टरों की डिजिटल ट्रैकिंग जैसा काम करेगा।

आयुष्मान से जोड़कर सरकार ने बढ़ाया दबाव

सरकार ने आयुष्मान भारत पोर्टल से एचपीआर व्यवस्था जोड़ दी है, अब अस्पताल और डॉक्टरों को कई सेवाओं के लिए एचपीआर आधारित जानकारी देनी होगी। विशेषज्ञ के अनुसार इससे फर्जी डॉक्टरों पर रोक लगेगी और मरीज पंजीकृत डॉक्टर की पहचान आसानी से कर सकेंगे। अब दवा दुकान, पैथोलॉजी जांच घर, एक्सरे क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्रों को भी डिजिटल हेल्थ नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

बाढ़ आपदा की स्थिति को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई । कलेक्टर ऊषा परमार ने कहा है कि वर्षाकाल के पूर्व जिले में संभावित बाढ़ आपदा की स्थिति से बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर लें। संभावित बाढ़ की स्थिति वाले क्षेत्र और ग्रामों में जनहानि और वर्षाजनित बीमारियों से बचाव के भी माकूल प्रबंध सुनिश्चित हों।

अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पाबंद किया जाए। साथ ही समय पूर्व वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दें। जिला कलेक्टर ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारी बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए। इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों से आपदा प्रबंधन के संबंध में अब तक की गई तैयारियों की जानकारी लेकर कार्ययोजना मुताबिक कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि बाढ़ आपदा की स्थिति में प्राथमिकता के साथ बचाव और राहत कार्य जरूरी है। इसके लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ करें और किसी भी आपात स्थिति की सटीक सूचना पर समन्वय के साथ बचाव कार्य को अंजाम दें। डूब वाले क्षेत्रों में त्वरित रूप से कार्य कर प्रभावित लोगों को अस्थाई शिविर में विस्थापित करना आवश्यक है। संभावित खतरे और समस्या पर चर्चा कर इसके लिए जरूरी उपायों पर विचार विमर्श किया गया। लोक निर्माण विभाग सहित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तहत आवश्यकतानुसार रोड मरम्मत के निर्देश भी दिए गए। सिल्वर फॉल और बृहस्पति कुंड जैसे स्थानों पर विशेष निगरानी की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी एवं अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत सीईओ भी उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट का आदेश नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलेगा मुआवजा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में याचिकाकर्ता को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2015 में पारित मुआवजा अवार्ड को निरस्त कर दिया है।

न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मुआवजे का पुनर्निर्धारण निष्पक्ष मुवावजा एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किया जाए। न्यायमूर्ति मनीन्दर एस. भट्टी की एकलपीठ ने राम कुमार गुप्ता बनाम कलेक्टर, दमोह एवं अन्य (रिट याचिका क्रमांक 14814/2015) में यह निर्णय सुनाया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी प्रशांत अवस्थी असीम त्रिवेदी और आनंद कुमार शुक्ला ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जबकि राज्य शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसुनवाई के दौरान अधिवक्ता आनंद कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि संबंधित मुआवजा अवार्ड 29 अप्रैल 2015 को पारित किया गया था। उस समय तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 समाप्त हो चुका था और 1 जनवरी 2014 से निष्पक्ष मुआवजा एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू हो चुका था। इसलिए मुआवजे का निर्धारण नए कानून के अनुसार किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए वर्ष 2015 के अवार्ड को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रकरण को पुनः भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-अनुविभागीय अधिकारी के पास भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर वर्ष 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नया मुआवजा निर्धारित कर ताजा अवार्ड पारित किया जाए। इस निर्णय को भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऐसे अन्य भू-स्वामियों को भी राहत मिल सकती है।

बीमा पॉलिसी के नाम पर व्यापारी से 92 हजार रुपए की साइबर ठगी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई। बीमा पॉलिसी पूरी होने पर उसकी राशि दिलाने का लालच देकर एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी से 92 हजार रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है।

बड़ा बाजार निवासी 57 वर्षीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने वर्ष 2022 में एक एजेंट के माध्यम से एक निजी बीमा कंपनी की पॉलिसी कराई थी। उस समय उन्होंने पहली किस्त के रूप में 92 हजार रुपए चेक के माध्यम से जमा किए थे। इसके बाद उन्होंने कोई अन्य किस्त जमा नहीं की। शिकायतकर्ता ने बताया कि 25 मार्च 2026 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने स्वयं को बीमा कंपनी से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए कहा, यदि वह 92 हजार रुपए की एक और किस्त जमा कर देंगे तो तीन माह के भीतर दोनों किस्तों की पूरी राशि उनके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। इसके बाद उन्हें दूसरे व्यक्ति से बात कराई गई, जिसने स्वयं को शर्मा बताया और एक बैंक खाता नंबर उपलब्ध कराते हुए उसी खाते में राशि जमा करने के लिए कहा। पीड़ित व्यापारी ने झांसे में आकर 26 मार्च 2026 को अपने मोबाइल से फोन पे के माध्यम से बताए गए बैंक खाते में 92 हजार रुपए स्थानांतरित कर दिए। राशि भेजने के बाद जब उन्होंने दोनों मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने का प्रयास किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। तीन माह बीत जाने के बाद भी खाते में कोई राशि वापस नहीं आई। तब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित बैंक खाते और मोबाइल नंबरों के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है।

हाईवा वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई। मौत सड़क के नाम से मसूर सिमरिया से लेकर मड़ला तक आये दिन हादसे हो रहे है जिससे वे मोत लोग मारे जा रहे है । पन्ना जिले के अमानगंज-पिपरवाह बाईपास पर गत दिवस एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला।

जेके सीमेंट प्लान्ट में कथित तोर पर लगे एक तेज रफ्तार ट्राले की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान अर्जुन आदिवासी (उम्र 26 वर्ष), पिता पप्पू आदिवासी, निवासी ग्राम दरेरा (एनएमडीसी ब्लॉक, पन्ना) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अर्जुन पवई से मजदूरी का काम खत्म करके अपने बाइक से वापस गांव लौट रहा था। इसी दौरान अमानगंज-पिपरवाह बाईपास पर ट्राला क्रमांक एन एल , 01 ।एजी 9406 ने उसे टक्कर मार दी। घटना इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर डायल-112 और अमानगंज पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

जन औषधि केन्द्रों से जनता को लाभ नहीं

पन्ना, 9 जुलाई। केन्द्र सरकार की जन औषधी केन्द्र योजना के तहत व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश थे ताकि आम आदमी, गरीब जन औषधि केन्द्रों से सस्ती दवायें प्राप्त कर सके और महंगाई की लूट से बच सके। किन्तु स्वास्थ्य विभाग ने यहां जन औषधि सप्ताह के नाम पर शहर से लेकर गांव तक कोई आयोजन नहीं किया। भले ही इस आयोजन के नाम पर खानापूर्ति कर ली गई और प्रचार प्रसार का बजट हजम कर लिया जाय। डॉक्टरों की लिखी गई दवायें भी नहीं मिलती जन औषधि केन्द्रों में- यह भी देखा जा सकता है कि जन औषधि केन्द्रों की स्थापना तो अस्पतालों में कर दी गई।

सड़क मार्ग न होने से प्रभावित हो रही सिमरिया के बच्चों की पढ़ाई

नवभारत न्यूज

पवई 09 जुलाई। पवई जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरिया गुलाब सिंह में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। गांव से नरगी मार्ग पर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला तक पक्की सड़क मार्ग न होने के कारण स्कूली बच्चे कीचड़ए गड्ढे युक्त रास्ता पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि लगभग डेढ़ सालों किमी का कच्चा रास्ता बरसात में पूरी तरह दलदल बन जाता है। इस वजह से माध्यमिक शाला जाने वाले दर्जनों बच्चे कई.कई दिन तक स्कूल नहीं पहुंच पाते। अभिभावकों का आरोप है कि साइकिलए मोटरसाइकिल तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।

वोट मांगने आते हैंए सड़क नहीं बनाते-ग्राम सिमरिया के ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर चुनाव में नेता विकास के बड़े.बड़े वादे करते हैं। उन्होंने कहाए ष्अगर समय पर इलाज के लिए एंबुलेंस भी नहीं आ पातीए तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगीघ् विकास के दावे पूरी तरह खोखले हैं।

शिक्षकों की भी समस्या-स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि कई बार शिक्षक भी समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते क्योंकि रास्ता खराब होने से वाहन गांव में ही रखने पढ़ जाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है।

ग्रामीणों की मांग- ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि गांव को नरगी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जल्द कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

केन बेतवा एवं मझगाय, रुँझ प्रभावितों का बारिश में भी आमरण अनशन

पन्ना, 9 जुलाई। पन्ना. केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित मझगांव, रुँझ परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों का आंदोलन बारिश में भी तेज होता जा रहा है। जय किसान संगठन के नेतृत्व में चल रहा चिता आंदोलन बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा।

लगातार हो रही बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण आंदोलन स्थल पर डटे रहे। आंदोलन के दौरान न्याय दो या मार दो जैसे नारों से पूरा परिसर गूंजता रहा और विस्थापितों ने अपनी मांगों पर अड़िग रहने का संकल्प दोहराया।

हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से किसान की मौत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुड़ोर में टूटकर जमीन पर गिरे हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। खेत में शव मिलने से गांव में शोक की लहर फैल गई।

ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे का कारण बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई और जर्जर विद्युत लाइनों को तत्काल बदलने की मांग की है। जानकारी के अनुसार 53 वर्षीय किसान तुलसीराम सिंह मंगलवार शाम करीब 6 बजे अपने खेत पर गए थे। बताया जा रहा है कि खेत में पहले से ही हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर जमीन पर पड़ा था। अंधेरा होने के कारण किसान को तार दिखाई नहीं दिया और वह करंट की चपेट में आ गए। तेज विद्युत प्रवाह के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। बुधवार सुबह दोबारा खोजबीन के दौरान खेत में टूटे बिजली के तार के पास उनका शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही शाहनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जर्जर बिजली लाइनों की समय पर मरम्मत और निगरानी नहीं होने से यह हादसा हुआ।

पन्ना को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी बनाने का संकल्प : बृजेंद्र

विधायक ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि पन्ना को लोकप्रिय बनाने होंगे कई आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 जुलाई । पूर्व मंत्री पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया की श्रीमद्भागवत कथा, श्रीभक्तमाल कथा और गुरुपूर्णिमा महोत्सव का आयोजन करना नहीं, बल्कि पन्ना को सनातन आस्था के एक प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है।

आज पन्ना की पहचान हीरों की नगरी और पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण है, जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री श्री 1008 श्री जुगल किशोर सरकार धाम भगवान श्रीकृष्ण की स्वयं प्रकट हुई सप्त निधियों में से एक दिव्य धाम है। इस दिव्य परंपरा का व्यापक प्रचार-प्रसार अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए देश के पूज्य संतों, आचार्यों और कथावाचकों के माध्यम से इसकी महिमा को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया ।

उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि जब देशभर के संत-महात्मा और कथावाचक श्री जुगल किशोर सरकार की महिमा का वर्णन करेंगे, तब लाखों श्रद्धालु पन्ना आने का संकल्प करेंगे। इससे धार्मिक चेतना का विस्तार होगा, धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी ।श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मान्यता है कि कलियुग में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सात दिव्य स्वरूपों में स्वयं प्रकट होकर ब्रजभूमि को धन्य किया। इनमें श्री गोविंद देव जी, श्री मदनमोहन जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधारमण जी, श्री राधावल्लभ जी, श्री बाँके बिहारी जी तथा श्री श्री 1008 श्री जुगल किशोर सरकार प्रमुख हैं। इन्हीं सप्तनिधियों में श्री हरिराम व्यास जी महाराज की प्रेरणा से प्रकट हुए श्री जुगल किशोर सरकार आज पन्ना की पुण्यभूमि में विराजमान हैं, जो इस धाम का परम सौभाग्य है।

साथ ही पूज्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एवं पूज्य श्री इन्द्रेश उपाध्याय जी महाराज का आगमन भी प्रस्तावित है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव, गुरुपूजन और महाभंडारे के साथ आयोजन का समापन होगा।

15 से शुरू होंगे कार्यक्रम

15 जुलाई को भव्य शोभायात्रा एवं कलश यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। 16 से 22 जुलाई तक परम पूज्य स्वामी श्री राजेन्द्र दास देवाचार्य जी महाराज (श्रीधाम वृंदावन) के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत कथा होगी। 23 से 27 जुलाई तक श्री श्री 108 महंत स्वामी किशोरदास जी महाराज द्वारा श्रीभक्तमाल कथा तथा प्रतिदिन रासाचार्य पं. श्री कुंजविहारी शर्मा (भैयाजी) द्वारा भव्य रासलीला प्रस्तुत की जाएगी। भक्ति संगीत में साध्वी पूर्णिमा दीदी, बाबाजी चित्रविचित्र जी महाराज, अमित धुवे, यश गोपाल श्रीवास्तव तथा गुरु पूर्णिमा पर संजो बघेल अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। महोत्सव में श्री राम प्रवेश दास जी महाराज, स्वामी सुतीक्ष्ण दास देवाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री सनत कुमार दास जी महाराज, रावतपुरा सरकार, श्री अनुग्रह दास जी महाराज, मुखिया श्री अलबेली शरण जी महाराज सहित अनेक संत-महात्माओं का सान्निध्य प्राप्त होगा।